

कार्यालय कलेक्टर, जिला रतलाम म0प्र0 एवं पदेन उप सचिव, राजस्व विभाग (म0प्र0)

—00—

कमांक 4331/भू-अर्जन/2021

रतलाम दिनांक 30/12/2021  
प्रकरण कमांक 05/अ-82/2020-22



(अन्तर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 कमांक 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किमें वर्णित भूमि की अनुसूची के कमांक 01 एवं 02 वर्णित भूमि को अनुसूची के क्रम 03 में उल्लेखित सार्वजनिक परियोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त परियोजन के लिये आवश्यकता है :-

:: अनुसूची ::

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला रतलाम (ख) तहसील आलोट (ग) ग्राम नारायणी (घ) अर्जित रकबा-हैक्टैयर में।

क.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	2	3	4
1	0.020	-	0.020

अनुसूची (2)

नारायणी बैराज योजना अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम नारायणी की प्रभावित भूमि का विवरण  
ग्राम नारायणी तहसील आलोट

क.	कृषक का नाम व पिता का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टैयर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	नागुसिंह पिता फतेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नारायणी	360/1	0.340	0.00	0.340	0.020	0.00	0.020

(3) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :- नारायणी बैराज तालाब हेतु

(4) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड आलोट जिला रतलाम

म.प्र. शासन के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

कलेक्टर

एवं पदेन उप सचिव म0प्र0

शासन राजस्व विभाग रतलाम (म0प्र0)

निरन्तर (2) पर


(2)

पृ. क्रमांक 4332/भू-अर्जन/2021  
प्रतिलिपि :-

रतलाम दिनांक 30 / 12 / 2021

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र प्रकाशन हेतु।
2. अपर संचालक (विज्ञापन) जनसंपर्क, संचालनालय, बाणगंगा रोड भोपाल म.प्र. की ओर दो मुख्य हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी आलोट की ओर स्थानीय स्तर पर चस्पा हेतु।
4. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी जिला रतलाम की ओर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सहायक संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग रतलाम ।
6. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना का समूचित सरकार की वेबसाइट व राजपत्र एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशन की स्थिति से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी आलोट को तत्काल अवगत करावे।





कलेक्टर

एवं पदेन उप सचिव म0प्र0  
शासन राजस्व विभाग रतलाम (म0प्र0)